रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04052023-245705
CG-DL-E-04052023-245705

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2022] नई दिल्ली, बुधवार, मई 3, 2023/वैशाख 13, 1945
No. 2022] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 3, 2023/VAISAKHA 13, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2023

का.आ. 2110(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से,छत्तीसगढ़ राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-30 के कि.मी. 59.000 से कि.मी. 59.600 (गुटेर नाला), कि.मी. 96.800 से कि.मी. 98.400 (गीदम नाला) एंव कि.मी. 99.800 से कि.मी. 100.600 (साई मंदिर के पास) में नवीन पुल निर्माण हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है ।

अनुसूची

छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH-30 पर कि.मी. 59.000 से कि.मी. 59.600 (गुटेर नाला), कि.मी. 96.800 से कि.मी. 98.400 (गीदम नाला) एंव कि.मी. 99.800 से कि.मी. 100.600 (साई मंदिर के पास) में नवीन पुल निर्माण हेतु भूमि का अधिग्रहण ।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू अर्जन अधिकारी सुकमा(छ.ग.) (	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH30 के कि.मी.	छत्तीसगढ़	सुकमा	गादीरास	1 गीदम

		98.4 से 100.16 तक				
2	अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू अर्जन अधिकारी छिंदगढ़	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH30 के कि.मी. 59 से 59.6 तक	छत्तीसगढ़	सुकमा	तोंगपाल	1 पेरमारास 2 कांवरकोपा

[फा. सं. RO/NH/CG/LA/2023-24]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd May, 2023

S.O. 2110(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule Construction of new bridge of Km. 59.000 to Km. 59.600 (Guter Nala), Km. 98.400 to Km. 98.800 (geedam Nala) and Km. 99.800 to Km. 100.600 (near Sai tempal) mainteance, managment and operation of the NH-30 in the State of CHHATTISGARH.

SCHEDULE

Acquisition of land in respect of NH-30 on the stretch from Km. 59.000 to Km. 59.600 (Guter Nala), Km. 98.400 to Km. 98.800 (geedam Nala) and Km. 99.800 to Km. 100.600 (near Sai tempal) for construction of bridge in the state of chhattisgarh.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Land Acquisition Officer and SDO (revenue)Sukma (C.G) (	98.4KM To 100.16KM	CHHATTISGARH	SUKMA	Gadirash	1 Geedam
2	Land Acquisition Officer and SDO (revenue) Chindgarh(C.G) (	59KM To 59.6KM	CHHATTISGARH	SUKMA	Tongpal	1 Permaras 2 Kanwrakopa

[F. No. RO/NH/CG/LA/2023-24]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2023.05.04 21:51:57 +05'30'